भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5063 का उत्तर

दक्षिणी रेल में अतिक्रमण

5063. डॉ. ए. चैल्ला कुमारः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दक्षिणी रेल के विभिन्न हिस्सों में रेलवे के बड़े-बड़े भूखण्डों पर अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अतिक्रमणों से गंभीर परिचालनगत और अन्य समस्याएं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमणों को हटाने हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

sk

दक्षिणी रेल में अतिक्रमण के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में डॉ. ए. चैल्ला कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 5063 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, लगभग 26884.70 हैक्टेयर कुल भूमि धारिता की तुलना में दक्षिण रेलवे में 55.42 हैक्टेयर भूमि (0.2%) अतिक्रमणाधीन है। इस अतिक्रमण का मंडल-वार ब्योरा नीचे दिया गया हैः-

मंडल	अतिक्रमणाधीन क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
चेन्नै	29.77
सेलम	6.13
पालक्काड़	0.11
तिरुवनंतपुरम	3.06
तिरुचिरापल्ली	4.98
मदुरई	11.37

अतिक्रमण के परिणामस्वरूप गाड़ी परिचालन में बाधा आती है और संरक्षा को खतरा रहता है तथा रेलपथ अनुरक्षण में भी कठिनाई होती है जिससे कभी-कभार लाइन क्षमता और थ्रूपुट प्रभावित होता है, जो अंततः रेलवे के राजस्व को प्रभावित करते हैं। अतिक्रमणों से विकासात्मक कार्यों के निष्पादन में समस्या आती है।

झुग्गियों, झोपड़ियों और अवैध आवास के रूप में अस्थाई स्वरूप (सॉफ्ट अतिक्रमण) के अतिक्रमणों को रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके हटवाया जाता है। पुराने अतिक्रमणों, जिनमें पार्टी को समझा-बुझाकर मनाया न जा सकता हो, के मामलों में समय-समय पर यथा आशोधित सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अनधिकृत अधिभोगियों की वास्तविक बेदखली राज्य सरकार तथा पुलिस की सहायता से की जाती है।

*****

sk